बा अदालत इलाका/जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गुडगांवा

(1) सुमन पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, (2) बीना देवी पत्नी श्री स्व. राजेन्द्र झां, निवासीयान टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, गांव समालखा, नई दिल्ली। हाल आबाद गांव डूंडाहेड़ा, तह0 व जिला गुड़गांवा।

.......मुस्तगीसगण

बनाम

(1) गौरव ममिक (डायरेक्टर/प्रबन्धक) सुपुत्र श्री तेज प्रताप ममिक
(2) तेज प्रताप ममिक (मैनेजिंग डायरेक्टर/महाप्रबन्धक), मैसर्ज फैशन एक्सप्रैस, प्लाट नं0 100, उद्योग विहार, फेज़-1, गुड़गांवा।

.....मुल्जिमान

पुलिस स्टेशन: उद्योग विहार, गुड़गांवा

इस्तगासा जैर धारा 403/406/509/506/120-बी आई.पी.सी.

श्रीमान् जी,

मुस्तगीसगण निम्नलिखित निवेदन करते है :-

1. यह कि मुस्तगीसगण मैसर्ज फैशन एक्सप्रैस में कार्यरत श्रमिक है।

2. यह कि कम्पनी के महाप्रबन्धक व प्रबन्धक ने 20 प्रतिशत बोनस/गिफ्ट देना था उसने हमारा बोनस का पैसा ना दिया और हमारी राशि का दुरूपयोग किया है।

3. यह कि हमने इस बात की सूचना श्रमाधिकारी को दिनांक 09.11.2005 दी तो श्रमाधिकारी ने सुनवाई के लिए दिनांक 14.11.2005 की तारीख निश्चित की तो महाबप्रन्धक व प्रबन्धक गुस्से से भरे हुए थे।

4. यह कि दिनांक 10.11.2005 को प्रबन्धक गौरव ममिक की शिकायत की सूचना पाकर हम सभी को अपने मीटिंग हॉल मे बुलाया हमारे व हमारे साथ काम कर रही

क्रमशः...पेज/2

सोमवती व कुसुमलता को गन्दी-गन्दी गालियाँ देने लगे तो उसकी आवाज सुनकर महाप्रबंधक (एम0 डी0) भी वहां आ गया तो वह दोनो कहने लगे की हम कम्पनी के मालिक है, मेरे पास बहुत पैसा है। मै चाहे जो करूगाँ तुम मेरे सामने चिटीं के समान हो, हम तुम्हें चिटीं की तरह मसलवा देंगे और मै तुम्हें मौत के घाट उतरवा दूगाँ। वहां फिनिंशिग इंचार्ज रविन्द्र सुपुत्र श्री छोटेलाल व काफी लोग व औरतों ने कहा कि आप औरतों को गन्दी-गन्दी गालियां मत दो - तो दोनो बोले कि तुम बोलने वाले कौन होते हो। कम्पनी के महाप्रबन्धक ने हाथों का इशारा करते हुए व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि मै तुम्हारी पूंगी बजा दूंगा और गुंडे बुलवाकर तुम्हारे बलाउज फडवाकर तुम्हे नंगा करके सारी कम्पनी में घुमा दूंगा तुम मेरा क्या कर लोगी, और तुम्हे जान से मरवा दूंगा मैने तुम्हारे जैसी बहुत देखी है-तुम्हारी तो औकात ही क्या है। मुल्जिमान हमारे साथ बहुत बदतमीजी की ऐसी ऐसी गालियाँ दी जिसका वर्णन करना सम्भव नही है ।

5. यह कि कम्पनी मालिक व उसका बेटा हमारे को सैक्सुयल हरासमैन्ट (Sexual Harassment) करता रहता है और हमारे को गन्दी गन्दी गालियां देता रहता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छीटाकशी करता रहता है कि मुस्तगीसगण तंग आकर कम्पनी छोड़ जांए।

6. यह कि हम दोनो को उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते रहते है। हमें डर है कि दोनो हमारे खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र रचकर हमारे को उठावा सकते है और जान से मरवा सकते है। इस घटना बारे एक शिकायत एस.एस.पी. गुडगांवा को दिनांक 06.01.2006 को दी थी-परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। इस शिकायत की जानकारी पाकर प्रबन्धक व महाप्रबन्धक हमारे साथ अशोभनीय व्यवहार करते है।

क्रमशः:......पेज/3

7. यह कि प्रबन्धक व महाप्रबन्धक दोनों ने मिलकर हमारे पैसों का दुरूपयोग किया है और अभद्र भाषा व अश्लील इशारों का प्रयोग करते हुए Sexual Harassment करते रहते है और जान से मारने की धमकी दे रहे है और अपराधिक षडयंत्र रचकर कोई संगीन घटना को अंजाम दे सकते है।

8. यह कि उपरोक्त घटना जनाब के क्षेत्राधिकार में घटित हुई है इसलिए जनाब को उपरोक्त इस्तगासा सुनने का पूरा हक है।

9. यह कि उपरोक्त इस्तगासा पर रू0 10/- की कोर्ट फीस चस्पा की है।

अत: जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुल्जिमान को तलब फरमाकर कानून समत कार्यवाही करके मुस्तगीसगण को न्याय दिलाया जावें।

मुस्तगीसगण

दिनांक: फरवरी 2006

(1) सुमन पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह,
(2) बीना देवी पत्नी श्री स्व. राजेन्द्र झां, निवासीयान टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, गांव समालखा, नई दिल्ली । हाल आबाद गांव डूंडाहेड़ा, तह0 व जिला गुड़गांवा ।

सूची गवहान

1. सोमवती
2. कुसुमलता
3. रविन्द्र कुमार
4. सम्बन्धित कर्लक कार्यालय प्रवर पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव ।
5. सम्बन्धित कर्लक कार्यालय श्रमअधिकारी, गुड़गांवा ।
6. अन्य सम्बन्धित गवाहान

मार्फत:

अश्विनी तंवर
अधिवक्ता, गुड़गांवा